संख्या–1/8/2009–का–4–2010

प्रेषक,

अश्वनी कुमार सिह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवामें,

विशेष सचिव एवं निदेशक,
कार्मिक विभाग–प्रशिक्षण समन्वय प्रकोष्ठ,
उत्तर प्रदेश शासन ।

कार्मिक अनुभाग–4

लखनऊः दिनांकः 02 अप्रैल,2010

विषयः–कार्मिक विभाग– प्रशिक्षण समन्वय प्रकोष्ठ को वित्तीय वर्ष–2010–2011 के व्यय हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान किया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय, वित्तीय वर्ष–2010–2011 के व्यय के लिए उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम–2010 (अधिनियम संख्या–6, सन्–2010) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुसार कार्मिक विभाग–प्रशिक्षण समन्वय प्रकोष्ठ के अनवरुद्ध व्यय के लिए रूपये–40,49,000.00 (रूपये–चालीस लाख उन्चास हजार मात्र), जिसका मदवार विवरण निम्नवत् है, विशेष सचिव एवं निदेशक, कार्मिक विभाग–प्रशिक्षण समन्वय प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश शासन के निस्तारण पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

मद का नाम	धनराशि (हजार रूपयों में)
01–वेतन	2087
03–मंहगाई भत्ता	689
04–यात्रा व्यय	60
06–अन्य भत्ते	392
07–मानदेय	5
08–कार्यालय व्यय	45
11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	30
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	200
15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	100
16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	20
42–अन्य व्यय	5
44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	10
45–अवकाश यात्रा व्यय	25
49–चिकित्सा व्यय	5
50–मंहगाई वेतन	0
51–वर्दी व्यय	5
योग–	3678
800–अन्य व्यय 03–अवशेषों का भुगतान 01–वेतन	371
महायोग–	4049 रूपये–चालीस लाख उन्चास हजार मात्र

2. स्वीकृत व्यय पूरा करने के लिए प्रदेशनों (एलाट्मेंट) में से धनराशि का विनियोग बजट मैनुअल के संबंधित नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों द्वारा नियंत्रित होगा । धनराशि के प्रदेशन

मात्र से ऐसा व्यय करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा, जिसे करने के लिए बजट मैनुअल तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की आवश्यकता हो । जहां ऐसे अनुमोदन की आवश्यकता हो, वहां व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय ।

3. विनियोग अधिनियम 2010के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही धनराशि में से मद संख्या, 04–यात्रा व्यय, 08–कार्यालय व्यय, 11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई, 12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण एवं 15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद में व्यवस्थित धनराशि का उपयोग फेजिंग के आधार पर अर्थात प्रत्येक माह 1/12 भाग के समतुल्य ही धनराशि का उपयोग किया जायेगा ।

4. उपर्युक्त व्यय अनुदान संख्या–19 में लेखाशीर्षक,"2070–अन्य प्रशासनिक सेवायें–आयोजनेतर–003–प्रशिक्षण–07–प्रशिक्षण समन्वय कोष्ठक का गठन" के अन्तर्गत सुसंगत बकाइयों के नामे डाला जायेगा ।

भवदीय,

(अश्वनी कुमार सिंह)
विशेष सचिव

संख्या–1/8/2009(1)–का–4–2010 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
4. निदेशक,वित्त सांख्यिकी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5. नियुक्ति विभाग (लेखा) को चार प्रतियों में ।
6. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–5
8. वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/2
9. कार्मिक अनुभाग–3

आज्ञा से,

(अश्वनी कुमार सिंह)
विशेष सचिव